अनवान हन्सासिंह व अन्य बनाम श्रीमती जीतोबाई व अन्य
वाद पत्र संख्या 22/2017

19.05.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। बलवीर सिंह पुत्र श्री काला सिंह जाति रायसिख निवासी दुलापुरकेरी तहसील व जिला श्रीगंगानगर वर्तमान फतेहपुर ढालीया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत करते हुये कथन किये कि उपरोक्त अनवान का वाद जनाववाला की अदालत में विचाराधीन है, जिसमें प्रतिवादी संख्या 29 का स्वर्गवास अरसा करीवन 6 पूर्व हो गया है। प्रतिवादी संख्या 29 के वारिसान उपरोक्त में प्रतिवादी बनाये हुये है इसलिए प्रतिवादी संख्या 29 देवो बाई पत्नी उतार सिंह के स्थान पर आगे मृतक अंकित किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 33 राणों बाई पत्नी मखन सिंह का भी स्वर्गवास हो गया है जिसके वारिसान पूर्व में उपरोक्त में प्रतिवादी बनाये हुये है इसलिए प्रतिवादी संख्या 33 के आगे मृतक अंकित किया जावे।

लिहाजा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 धारा 151 सीपीसी मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 29 देवो बाई एवं प्रतिवादी संख्य 33 राणों बाई के स्थान पर आगे मृतक दर्ज किया जावे।

जवाब बहस में अधिवक्ता प्रतिवादीगण संख्या 30 व 31 द्वारा कथन किये गये कि प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य प्रतिवादी संख्या 29 का स्वर्गवास अरसा 6 माह पूर्व हो गया है निराधार है एवं मृत्यु की दिनांक का अंकन किये बिना होने के कारण प्रार्थनापत्र ही काबिले खारिज है क्योंकि आदेश 22 नियम 4 सीपीसी प्रावधानानुसार पक्षकार की मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस के अन्दर अन्दर मृतक के विधिक उत्तराधिकारियों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है ऐसी सूरत में बिना मृत्यु प्रमाण पत्र काबिले खारिज है। यह वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी संख्या 33 राणो बाई का स्वर्गवास होना दर्शाकर नाम के आगे मृतक अंकित करने का निराधार कथन करते हुए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करके अनावश्यक न्यायालय का समय बर्बाद किया है जबकि वाद पत्र में पहले से मृतक दर्ज है ऐसी सूरत में प्रार्थना पत्र किसी भी सूरत में चलने योग्य नहीं होकर मय भारी जुर्माना खारिज लायक है।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् जी से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत ओदश 22 नियम 4 सीपीसी मय भारी जुर्माना खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया। चूंकि पत्रावली लम्बे समय से उक्त प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु विचाराधीन चल रही है एवं प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 29 की मृत्यु छः माह पूर्व होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादी संख्या 33 के नाम के आगे पूर्व में ही मृतक अंकित किया जा चुका है जो कि दिनांक 10.08.2018 को प्रस्तुत संशोधित शीर्षक के अवलोकन से स्पष्ट होता है। वादी स्वयं द्वारा प्रस्तुत दावे का जिम्मेवार होता है। उक्त बिन्दू उपेक्षा योग्य नहीं था फिर भी न्यायहित में प्रार्थना पत्र 500 रुपये कास्ट पर स्वीकार किया जाता है एवं प्रतिवादी संख्या 29 देवो बाई के नाम आगे लाल स्याही से मृतक अंकित किया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी (दिनांक 06.09.2024) हेतु दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2025.10.13 11:19:28 IST
Reason: Self Attested